

को पेश हो

18/5/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप।
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र 212 RTI लोकहित
की भावना से खारिज करवाने बाबत
नोटिस कर इंटरवेजिंग की गई। प्रार्थी
वकील को सुना। पत्रावली रिजॉग का
अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा की
गई इंटरवेजिंग के आधार पर
प्रार्थना-पत्र 212 RTI लोकहित में
खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली कुल 20 नंबर
नम्बर से कम की जाकर
दाखिल करवाए है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

11/5/2022
18/5/2022